जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः ज.वि.प्रा. / अति.मु.न.नि. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2020 / डी– 1540 दिनांकः– 11/11/2020

–:कार्यवाही विवरण:–

विषयः– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 231वीं बैठक दिनांक 05.11.2020 को दोपहर 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थित सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

1. **एजेण्डा नम्बर 231.1 (05.11.2020):–**

विषयः– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 230वीं बैठक दिनांक 17.09.2020 को सम्पन्न हुई, 230वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा।

निर्णयः– *भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की दिनांक 17.09.2020 को सम्पन्न हुई 230वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा की गई एवं कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।*

2. **एजेण्डा नम्बर 231.2 (05.11.2020)(जोन–14):–**

विषयः– भूखण्ड संख्या जी.एच.–2, सहारा सिटी होम्स योजना, ग्राम बिलवा एवं मानपुर नांगल्या, तहसील सांगानेर, जयपुर (महिमा संसार फेज–2 स्प्रिंग विला) के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग की भवन निर्माण अवधि बढ़ायें जाने बाबत्।

आवेदक का नामः– श्री कपिल रायसिंघानी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, महिमा रियल एस्टेट प्रा.लि.।

निर्णयः– *एजेण्डा नोट का समिति द्वारा अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि प्रकरण में भवन मानचित्र दिनांक 15.09.2017 को जारी किये गये थे। भवन विनियम अनुसार भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक 15.09.2017 से 7 वर्ष अर्थात दिनांक 14.09.2024 तक होती हैं, किन्तु नागरिक उड्डयन विभाग के पत्र दिनांक 07.06.2017 के द्वारा प्रार्थी को जारी की गई एन.ओ.सी. के अनुसार प्रकरण में दिनांक 06.06.2022 तक निर्माण अवधि निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में कोविड–19 महामारी के मध्यनजर "Airport Authority of India के AERODROME SAFEGUARDING CIRCULAR (ADSAC) 07 OF 2020 द्वारा दिनांक 18.08.2020 को सर्कुलर जारी किया गया हैं जिसके अनुसार जिन प्रकरणों में एन.ओ.सी. की वैद्यता दिनांक 25.03.2020 एवं इसके बाद समाप्त हो रही हैं उन प्रकरणों में कोविड–19 महामारी के तहत केवल 9 माह की अवधि की वृद्धि स्वतः ही मानी जावेंगी। अतः उक्त प्रकरण में नागरिक उड्डयन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि की वैद्यता दिनांक 06.06.2022 तक हैं जिसमें 9 माह जोड़े जाने पर दिनांक 06.03.2023 तक वैद्यता हो जाती हैं। उक्त दिनांक 06.03.2023 की निर्माण अवधि भवन विनियमों अनुसार प्राप्त निर्माण अवधि दिनांक 14.09.2024 के अन्तर्गत हैं। अतः परियोजना की निर्माण अवधि दिनांक 06.03.2023 तक निर्माण अवधि (9 माह) को बढ़ायें जाने का निर्णय लिया गया।*

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा / अति.मु.न.नि. / बीपीसी(बीपी) / 2020 / डी– 1540 दिनांकः– 11/11/2020

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, जविप्रा एवं माननीय मंत्री महोदय, नविवि एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (प्रशासन) / (एलपीसी) / (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन–14, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यवाही विवरण को अविलम्ब जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
8. निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

परिशिष्ठ–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 231वीं बैठक दिनांक 05.11.2020 को दोपहर 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.श्री गौरव गोयल, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष,
2.श्री आलोक रंजन, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
3.श्री आर.के. विजयवर्गीय, निदेशक, (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
4.श्री अवधेश सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (पी.आर.एन), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
5.श्री ओ.पी. पारीक, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी जविप्रा, जयपुर।	सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थेः–

1. श्री मुकेश जांगिड, उप नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जयपुर।
2. सुश्री दिप्ती बमणावत, सहायक नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जयपुर।
3. श्री इन्द्र गोठवाल, नगर नियोजन सहायक, बीपीसी–बीपी, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।